सख्या 46 /XXIV(6)/2011

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
दून विश्वविद्यालय केदारपुरम्, **देहरादून** ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 25 मार्च, 2011

विषय **वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु आयोजनागत पक्ष में दून विश्वविद्यालय देहरादून के फेज–1 के तहत आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण कार्यो को पूर्ण करने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या : 28/3/आर–डीयू/2010 दिनांक 13,जनवरी 2011 एवं पत्र संख्या : 75/जीएफ/आर–डीयू/2010 दिनांक 28,जनवरी 2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दून विश्वविद्यालय के फेज–1 कें तहत आवासीय/अनावासीय भवनों निर्माण कार्यो को पूर्ण करने हेतु अवशेष समस्तं धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया है, उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि दून विश्वविद्यालय देहरादून के फेज–1 के तहत आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 01,फरवरी–2010 में लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश संख्या : 86/xxiv(6)/2010 दिनांक 03,मार्च –2010 द्वारा दून विश्वविद्यालय के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु (प्रथम फेज) टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत पुनरीक्षित आंगणन रूपये 10649.79 लाख वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति प्रदान की गयी थी । प्रश्नगत् निर्माण कार्यो हेतु उक्त संस्तुत धनराशि के सापेक्ष अब तक कुल रूपये 9588.05 लाख की धनराशि विश्वविद्यालय को अवमुक्त की जा चुकी है, अब अवशेष धनराशि रूपये 1061.74 लाख के सापेक्ष **रूपये 04,00,00,000.00 (रूपये चार करोड़ मात्र)** को निम्न शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्त धनराशि को दिनांक 01,फरवरी–2010 को व्यय वित्त समिति द्वारा स्वीकृत किए गए कार्यो के सापेक्ष ही व्यय किया जाएगा । कुलपति, दून विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगें कि पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपयोग पूर्ण रूप से एवं अपेक्षित गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कर लिया गया है। वे यह भी सुनिश्चित करेंगें कि स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 में रखी जायेगी एवं दायित्व उत्पन्न होने पर ही चरणबद्ध रूप से कार्यदायी संस्था की आवश्यकतानुसार ही अवमुक्त की जाये, स्वीकृत कार्यो को पूर्ण कराने की प्राथमिकता को दृष्टिगत् रखते हुए ही धनराशि आहरित/व्यय की जाये ।

3– विश्वविद्यालय द्वारा कार्यो की सतत् मोनीटरिंग सुनिश्चित की जाएगी । प्रत्येक माह अवमुक्त धनराशि एवं इसके सापेक्ष कार्यवार/कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिर्पोट शासन एवं वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी

4. व्यय उन्हीं कार्यो एवं योजनाओं पर किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए सम्बन्धित् अधिकारी उत्तरदायी होंगें।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा आहरित करते हुए नियमानुसार व्यय की जायेगी।

6– प्रश्नगत् निर्माण कार्यो में शासन द्वारा पूर्व निर्धारित शर्ते यथावत् लागू रहेंगी, कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित् निर्माण एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तरदायी मानी जायेगी ।

7– उक्त के सापेक्ष होने वाला व्यय अनुदान संख्या 11 के आयोजनागत् पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–आयोजनागत–102–विश्वविद्यालयों को सहायता –05–दून विश्वविद्यालय –00– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मानक मद के नामे डाला जायेगा ।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या –1081 (P)/xxvii(3)/2011 दिनांक 22,मार्च–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या :46 /XXIV(6)/2011 दिनांकित :

प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
4. उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून ।
5. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून ।
6. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून ।
9. विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(वेदीराम)
अनु सचिव ।